

समक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय म०प्र०राजस्व मण्डल सर्किट केम्प भोपाल म०प्र०

निगरानी प्र०क्र०-----/18  
 III/निगरानी/सीहोर/भू.रु/2018/2012

मनोज आ.रामसिंह आयु वयस्क जाति खाती

धंधा खेती निवासी ग्राम बडोदिया गाडरी तहसील आष्टा

जिला सीहोर म०प्र०-----निगरानीकर्ता/आवेदक

विरुद्ध

केशरसिंह आ.मोतीसिंह आयु वयस्क जाति गाडरी

धंधा खेती निवासी ग्राम बडोदिया गाडरी तहसील आष्टा

जिलासीहोर म०प्र०-----अनावेदक/उत्तरदाता

1. यदि 13/3/18  
 2. मजदूर  
 11/2/18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 पचास म०प्र०भू०रा०स० विरुद्ध आदेश दिनांक 2.2.18

दो फरवरी सन दोहजार अठारह अन्तर्गत प्र०क्र० 6/अ.70/17-18 पारित द्वारा

मायक लक्ष्मीलक्षार आष्टा।

Art

**न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र


प्रकरण क्रमांक III/निगरानी/सीएच/भूरा/18/2012,

मनोज/केशर सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
------------------	--------------------	--------------------------------------

20/12/18

आवेदक की ओर से श्री नीरज शर्मा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार आएडा के प्रकरण क्रमांक 06/31-70/17-18 में पारित आदेश दिनांक 02/02/18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सीहोर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 03/04/18 को कलेक्टर जिला सीहोर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

  
सदस्य

